उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग
संख्या-105/2026/40ई0पी0सी0/35-1-2026
लखनऊः दिनांकः 11 मई, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार किये जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/ आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन -051-निर्माण-07-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के सुसंगत इकाइयों के अन्तर्गत रू०-2000.00 लाख (रुपए बीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये हुये अंकित धनराशि सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों की वहन करने हेतु मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) विभिन्न मदों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्रित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गई शतों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्ति किया जाय।

(3) उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ० प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

(6) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जाय।

(7) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार किया जायेगा और जहाँ आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाय।

2. उक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नियोजन विभाग के आय-व्ययक में ई०पी०सी० मोड के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

60-अन्य भवन -051-निर्माण- 07-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट/आगणन हेतु-16-व्यवसायिक तथा विशेष सुविधाओं के लिए भुगतान" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-105/2026/40ई0पी0सी0 (1)/35-1-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराजा
3. वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन, 15 थानहिल रोड, उ०प्र० प्रयागराज।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण वितरण अधिकारी, नियोजन सचिव शाखा।
6. मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
9. अनुभाग अधिकारी, नियोजन (लेखा) अनुभाग।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।